



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्क
गोरखपुर - 273012
Office of the General Manager
(Vig)
Gorakhpur - 273012

सं. डी.ए.आर./वाणिज्य/2019/06/00891/पद्धति सुधार

दिनांक 30/03/2020

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय : सीटीआई. कार्यालय में चल टिकट परीक्षकों के मासिक रिटर्न एवं ईएफटी के रिकार्ड Foil आदि के रख-रखाव एवं जाँच के सम्बन्ध में "पद्धति सुधार (system improvement)"।

सी.टी.आई. कार्यालय गोरखपुर में की गयी एक निवारक जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक चल टिकट परीक्षक द्वारा ईएफटी. का रिटर्न भेजते समय उसके साथ संलग्न ईएफटी की लेखा प्रतियों एवं उनके संगत रिकार्ड प्रतियों में काफी लम्बे समय से मैनिपुलेशन करके निम्न प्रकार से जालसाजीपूर्ण कृत्य (Fraudulent) किया जाता रहा है :-

1. ईएफटी. की मूल लेखा प्रति को लेखा कार्यालय न भेजकर उसके स्थान पर मैनिपुलेटेड लेखा प्रति, जैसे- ई.एफटी.कमांक, लेखा ACCOUNTS, शब्द की छाया प्रति को ईएफटी की यात्री प्रति के ऊपर चिपकाकर Cash liability के रूप में कम राशि लेखांकित करते हुए, मैनिपुलेटेड लेखा प्रति बनाया गया तथा मासिक रिटर्न के साथ मूल लेखा प्रति के स्थान पर मैनिपुलेटेड लेखा प्रति को लेखा कार्यालय भेजा गया तथा संबंधित ईएफटी की रिकार्ड प्रति को सिंगल साइड कार्बन लगाकर overwrite करते हुए मैनिपुलेटेड लेखा प्रति के अनुरूप बना लिया गया।
2. किसी अन्य चल टिकट परीक्षक द्वारा पूर्व में उपयोग में लायी जा चुकी ईएफटी की रिकार्ड Foil (Used EFT Book) जहाँ कि जारी किए गए संबंधित चल टिकट परीक्षक द्वारा कार्यालय के अभिलेख में जमा की जा चुकी थी, ऐसे 04 ईएफटी के रिकार्ड बुक को कार्यालय के अभिलेख से येन-केन प्रकारेण प्राप्त कर उन ईएफटी के रिकार्ड प्रतियों के ऊपर मैनिपुलेशन कर अपने प्रयुक्त नम्बर (ईएफटी कमांक) के ईएफटी0 के रिकार्ड प्रति के रूप में उसका दुरुपयोग किया गया।
3. सरकारी धन का अस्थायी दुर्विनियोग (Misappropriation) करने के उद्देश्य से ईएफटी. की रिकार्ड प्रति से इतर लेखा प्रति की जारी होने की तिथि में पेन से overwrite कर मासिक रिटर्न भेजा जाना पाया गया।

संबंधित चल टिकट द्वारा लम्बे समय से की जा रही इस प्रकार की गंभीर अनियमितता को सीटीआई कार्यालय एवं लेखा किसी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत रिटर्न आदि की ठीक प्रकार से जाँच की गयी और न ही पूर्व में उपयोग में लायी जा चुकी ईएफटी0 पुस्तिक के ठीक ढंग से रख-रखाव ही किया गया, कलस्वरूप सम्बन्धित टीटीई. को इस प्रकार की गंभीर अनियमितता करने का अवसर प्राप्त होता रहा।

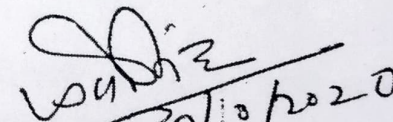
उपरोक्त के आलेख न भविष्य में सीटी.आई कार्यालय में इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु निम्न "वृद्धि सुधार (system improvement)" की अनुशंसा की जाती है :-

- i. चल टिकट परीक्षकों के मासिक रिटर्न को लेखा कार्यालय भेजने से पूर्व सीटीआईC कार्यालय के सम्बन्धित पर्यवेक्षक द्वारा ईएफटी0 की लेखा प्रतियों का गिलान उसके संगत रिकार्ड प्रति से अवश्य किया जाए तथा निलान करने वाले पर्यवेक्षक द्वारा रिटर्न पर यह प्रमाणित किया जाए कि उनके द्वारा दोनों प्रतियों का निलान ठीक ढंग से कर लिया गया है, जो पूर्णतः ठीक है।
- ii. डीएमआर0 पंजिका, टीटीई0 Sign ON/OFF पंजिका में किसी भी प्रकार के Alteration, ओवर राइटिंग, कटिंग या स्फेदा(Whitener) आदि लगाने की स्पष्ट रूप से मनाही किया जाए। टिप्पण परिस्थितियों में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना अनिवार्य हो तो उसे सीटीआई कार्यालय के पर्यवेक्षक द्वारा अपने रिमार्क के साथ उस पर दिनांक सहित हस्ताक्षर अवश्य किया जाये।
- iii. ईएफटी0 बुक की समाप्ति के उपरान्त चल टिकट परीक्षकों द्वारा उसे जमा करते समय सीटीआई कार्यालय के पर्यवेक्षक द्वारा ईएफटी0 को पूर्ण रूप से देखकर, गणना (Count) करके ही जमा किया जाये, साथ ही साथ अभिलेखों का रख-रखाव ठीक ढंग से किया जाये, जिससे कि भविष्य में उसके दुरुपयोग की संभावना न बने।

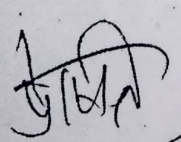

(जे. पी. सिंह)
उप मुसतावि / याता0
कृते महाप्रबन्धक / सतर्कता

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ -

मंडल रेल प्रबन्धक इज्जतनगर, वाराणसी एवं लखनऊ को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।


30/10/2020
कृते महाप्रबन्धक / सतर्कता

व/र
27/10/2020
30.10.2020


02/11/2020

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

गोपनीय

359



ISO 9001:2000 Registered
Organisation
Certificate No. 08/648/J

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर - 273012
(ISO 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)
Office of the General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012
(ISO 9001: 2000 certified Organisation)

सं.जेड/13/डी.ए.आर./उपमुख्यताधि/याता/2018/08/00406/जॉच/28/12

दिनांक 07.06.2020

पमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर

विषय:- ईएफटी के उपयोग में लाने एवं सरकारी धन जमा करने के सन्बन्ध में पद्धति सुधार।

सतर्कता जॉच में पाया गया है कि एक टीटीई कर्मचारी द्वारा स्वयं के द्वारा फर्जी मैनुअल एनआर जारी करके रिटर्न के साथ सरकारी धन का सही विवरण दर्ज करके TTE-19 फार्मेट में बिना नाम दर्ज किये, बिना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के भेजा जाता था। फलस्वरूप सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपने हित में प्रयोग में लाया जाता था। इस प्रकार कर्मचारी द्वारा सरकारी धन में गबन कर दुर्विनियोग किया गया। इस प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए निम्न तथ्यों का ध्यान दिया जाना आवश्यक है ---

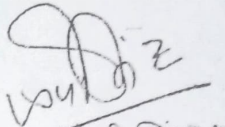
1. प्रत्येक टीटीई/टीसी को अधिकतम एक साथ 2 ईएफटी से अधिक जारी न की जाय, एवं रेलवे बोर्ड से पूर्व में जारी गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाय।
2. नई ईएफटी जारी किये जाने से पूर्व, पूर्व में जारी ईएफटी का विवरण सीटीटीआई द्वारा अवश्य लिया जाय एवं प्रतिदिन जारी किये गए ईएफटी एवं किराये का विवरण ईएफटी के पीछे टीटीई से लिखवाकर हस्ताक्षर कराकर इंचार्ज द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर कार्यालय मुहर लगाई जाय।
3. ईएफटी एवं रिटर्न में कोई कटिंग / ओवर राइटिंग न किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. नई ईएफटी जारी किये जाने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि यात्रियों को जारी किये गए ईएफटी की धनराशि बुकिंग कार्यालय में जमा कर एन आर ले ली गयी है एवं उसका विवरण सीटीटीआई कार्यालय में रखे रोकड़ पंजिका में अवश्य दर्ज किया जाय। सारे विवरण दर्ज कर अन्तिम में कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर प्रतिदिन अथवा इप्पू के समाप्ति पर अवश्य किया जाय।
5. पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी द्वारा रिटर्न निर्धारित समय से जमा किये जाय एवं प्रतिदिन जारी किये गए प्रत्येक ईएफटी एवं रिटर्न का सम्पूर्ण मिलान अवश्य किया जाय एवं इसमें कोई लापरवाही न की जाय।
6. रिटर्न के साथ भेजे गए TTE-19 फार्मेट पर ऊपर कर्मचारी का नाम, पद आदि लिखा जाना सुनिश्चित किया जाय। TTE-19 फार्मेट में नीचे सम्बंधित कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हेतु कालम बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाय, एवं कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक के कालम में टीटीई द्वारा रिटर्न जमा करते समय कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर अवश्य किये जायें।

7. सेक्शन के टीआईए द्वारा किसी एक या दो कर्मचारियों का सम्पूर्ण ईएफटी एवं रिटर्न का मिलान रैंडम तरीके हर माह सुनिश्चित किया जाय एवं मंजुरी द्वारा भी समय समय पर इसकी जाँच की जाय।

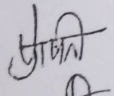
8. प्रधान वित्त सलाहकार मुख्यालय स्थित ईएफटी सेक्शन में सम्पूर्ण रिटर्न की जाँच समय से सुनिश्चित की जाय।

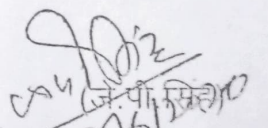
अतः इस सम्बन्ध में पद्धति सुधार के रूप में स्पष्ट निर्देश जारी किया जाना वांछित है कि उपरोक्त का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि सरकारी धन के दुर्विनियोग की कोई सम्भावना न बने।

इस पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


(ज. पी. सिंह)
(उपमहानिर्देशक/यातायात)
कृते महाप्रबन्धक /सतर्कता

निधि :- प्रधान वित्त सलाहकार, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।


05/06/2020


(ज. पी. सिंह)
(उपमहानिर्देशक/यातायात)
कृते महाप्रबन्धक /सतर्कता